***ए. के. सीकरी, मुख्य न्यायाधीश और तेजिंदर सिंह ढींढसा, जे.* के समक्ष**

हरियाणा राज्य और *अन्य-अपीलकर्ता*

बनाम

श्रीमती ज्योत्सना-उत्तरदाता

एलपीएनो। 2012 की 1757

मार्च 13,2013

हरियाणा मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा सहायता नियम, 2003 - आरआईएस। 2 & 3 - याचिकाकर्ता के पति की सेवा में मृत्यु हो जाती है - 1 वर्ष 4 महीने और 20 दिनों की अवधि के लिए सेवा में था- अनुग्रह मुआवजे के लिए दावा खारिज कर दिया गया- आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका की अनुमति दी गई और याचिकाकर्ता को नियमों के तहत ब्याज के साथ 2.5 लाख रुपये की राशि का हकदार माना गया- चुनौती - नियम 2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नियमों का उद्देश्य मृत कर्मचारी के परिवार की सहायता करना है आजीविका कमाने वाले को अनुकम्पा के आधार पर अनुग्रह राशि मिलने पर नियुक्ति अथवा अनुग्रहपूर्वक वित्तीय सहायता देकर हानि होने के कारण आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए ऐसी सहायता मृत सरकारी कर्मचारी के संबंध में होनी चाहिए जिसने कम से कम तीन वर्षों तक सरकार की सेवा की हो - अपील की अनुमति दी गई।

माना जाता है कि वैधानिक प्रावधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि चाहे वह अनुकंपा के आधार पर अनुग्रह नियुक्ति का अनुदान हो या अनुकंपा के आधार पर अनुग्रहपूर्वक वित्तीय सहायता, दोनों एक "मृत कर्मचारी" से संबंधित होंगे जो दोहन में मर जाता है। नियम 2 उप खंड (ii) के तहत उल्लेख के रूप में 'मृतक' शब्द स्पष्ट रूप से एक मृत सरकारी कर्मचारी के संबंध में है, जैसा कि नियम 3 उप खंड (डी) के तहत परिभाषित किया गया है। नियम 2 की शुरुआती पंक्तियां मामले को और स्पष्ट करेंगी। नियम 2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2003 के नियमों का उद्देश्य मृत कर्मचारी के परिवार को रोटी कमाने वाले की हानि के कारण आपातकालीन स्थिति से निपटने में सहायता करना है, जिसके लिए वह दो विकल्पों में से कोई एक विकल्प अर्थात अनुकंपा के आधार पर अनुग्रह राशि या अनुग्रह राशि वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वैधानिक प्रावधान की भाषा सादा

और असंदिग्ध है। मृतक के निर्धन परिवार के किसी सदस्य द्वारा अनुकंपा के आधार पर अनुग्रह नियुक्ति अथवा अनुकम्पा के आधार पर अनुग्रह नियुक्ति का दावा करने का विकल्प

कर्मचारी को मृत सरकारी के संबंध में होना चाहिए, कर्मचारी को नियम 3 उप खंड (डी) आईसी के तहत परिभाषा के तहत कवर किया गया है, जिसने कम से कम तीन साल तक सरकार की सेवा की है।

(पैरा 6)

आगे यह निर्णय दिया गया कि न्यायालयों के लिए यह खुला नहीं होगा कि वे "करुणा" और "समानता" की आड़ में विधायिका द्वारा अनपेक्षित स्तर तक न्यायिक व्याख्या का सहारा लेकर कानून के लाभकारी भाग में एक प्रावधान के आवेदन का विस्तार करें और इस प्रकार एक वैधानिक प्रावधान के तहत प्रदान किए गए लाभ का विस्तार उन लोगों तक भी करें, जो इतने आच्छादित नहीं हैं।

(पैरा 7)

अपील की अनुमति

आर.के.एस. बराड़, अपर ए.जी., हरियाणा।

आर.एस. सांगवान, अधिवक्ता, *प्रतिवादी के लिए।*

तेजिंदर सिंह ढींडसा, जे.

(एक) प्रतिवादी के पति को 1.5.2002 को हरियाणा पुलिस में रसोइया के रूप में नियुक्त किया गया था। दुर्भाग्य से 21.9.2003 को उनकी मृत्यु हो गई। अनुकंपा के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रतिवादी के दावे को कमांडेंट, इंडिया रिजर्व बटालियन, भोंडसी, गुड़गांव द्वारा पारित दिनांक 20-3-2006 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। प्रतिवादी ने 20.3.2006 के आदेश को चुनौती देते हुए 2006 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7032 दायर की। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 20.07.2012 के निर्णय के संदर्भ में, अनुकंपा के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अपीलकर्ता के दावे को खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया गया है और उसे मृतक सरकारी कर्मचारी नियमों के आश्रितों को हरियाणा अनुकंपा सहायता के तहत 2.5 लाख रुपये की राशि का हकदार ठहराया गया है। (ii) इस तरह के दावे को उठाने की तारीख से वास्तविक संवितरण की तारीख तक 7% ब्याज के साथ 2003 (इसके बाद 2003 नियम

के रूप में संदर्भित) के साथ।

(दो) हरियाणा राज्य के हाथों में तत्काल अपील 2006 की सीडब्ल्यूपी संख्या 7032 की अनुमति देते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 20.7.2012 के फैसले के खिलाफ निर्देशित है।

(तीन) पक्षकारों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुना गया है।

(चार) तत्काल अपील में उठाया गया मुद्दा 2003 के नियमों के प्रासंगिक नियम 2 और 3 की व्याख्या पर टिका होगा और इसे यहां उद्धृत किया गया है: -

(पाँच) नियमों का उद्देश्य निम्नलिखित विकल्पों में से कोई एक देकर रोजी-रोटी कमाने वाले के नुकसान के परिणामस्वरूप आपातकालीन स्थिति से निपटने में मृत कर्मचारी के परिवार की सहायता करना है: -

(१) परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर अनुग्रह नियुक्ति जो मृत कर्मचारी पर "पूरी तरह से निर्भर" था और मृतक अर्थात् सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के कारण अत्यधिक वित्तीय संकट में है"

(२) मृतक के परिवार को अन्य सभी लाभों के अलावा अनुकंपा वित्तीय सहायता जैसे कि उसके परिवार को देय अनुग्रह अनुदान @ रु. 2.5 लाख का भुगतान किया जाना चाहिए, जहां मृतक का परिवार अनुग्रह रोजगार का विकल्प नहीं चुनता है।

3. इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(अ) "नियुक्ति प्राधिकारी का अर्थ है उस विभागाध्यक्ष का जहां मृत सरकारी कर्मचारी काम कर रहा था।

(आ) "अनुकंपा वित्तीय सहायता" का अर्थ है मृतक के गरीब परिवार के पूरी तरह से आश्रित सदस्य को अन्य सभी लाभों के अलावा अनुग्रह सहायता के रूप में प्रदान की गई 2.3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता।

(इ) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है संबंधित विभाग का प्रमुख जहां मृतक/लापता कर्मचारी सेवा कर रहा था।

(ई) "मृत सरकारी कर्मचारी" का अर्थ है^एक सरकारी कर्मचारी।

(१) नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है और दैनिक मजदूरी, आकस्मिक शिक्षु, कार्य प्रभारित, तदर्थ, संविदात्मक या रोजगार के आधार पर काम नहीं कर रहा है।

(२) जिन्होंने कम से कम तीन वर्षों तक सरकार की सेवा की हो।

(हाय) जिनकी आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(उ) xxx xxx xxx xxx xxx

(ऑ)xxx xxx xxx xxx xxx. "

(पाँच) विद्वान एकल न्यायाधीश ने ऊपर पुन प्रस्तुत नियम 2 और 3 को पढ़ते हुए अनुकम्पा के आधार पर अनुकम्पा के आधार पर अनुग्रह नियुक्ति के लाभ के अनुदान के संबंध में एक भेद किया है, जो अनुकम्पा के आधार पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लाभ के अनुदान के संबंध में है। यह माना गया है कि नियम 3 के खंड (डी) के तहत "मृत सरकारी, कर्मचारी" की परिभाषा, जो बदले में कम से कम तीन साल तक सरकार की सेवा करना अनिवार्य करती है, केवल अनुकंपा के आधार पर अनुग्रह नियुक्ति के दावे पर विचार करने के लिए लागू होगी। जहां तक अनुकंपा के आधार पर अनुकंपा वित्तीय सहायता प्रदान करने का संबंध है, यह माना गया है कि नियम 2 उपखंड (ii) और नियम 3 उपखंड (b) के तहत "मृतक" शब्द का उपयोग नियम 2 उप खंड (ii) के तहत "मृत कर्मचारी" के विपरीत किया गया है और इस तरह सरकार की सेवा करने की आवश्यकता, नियम 3 के तहत "मृत सरकारी, कर्मचारी" की परिभाषा के तहत कम से कम तीन साल के लिए उप खंड (डी) का कोई आवेदन नहीं होगा। यह नियम 2 उप खंड (ii) में उल्लिखित शब्द "मृतक" और नियम 2 उप खंड (i) के तहत अभिव्यक्ति "मृत कर्मचारी" के बीच इस तरह के अंतर को आकर्षित करने के संदर्भ में है कि प्रतिवादी को अनुकंपा वित्तीय सहायता प्रदान करने का हकदार माना गया है।

(छः) हमने 2003 के नियमों के नियम 2 और 3 की सूक्ष्मता से जांच की है। नियम 2 उप खंड (i) मृत कर्मचारी के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर अनुग्रह नियुक्ति प्रदान करने की परिकल्पना करता है, जो ऐसे सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के कारण अत्यधिक वित्तीय संकट में है। नियम 2 उप खंड (ii) मृतक के परिवार को अनुग्रह अनुदान आदि जैसे अन्य सभी लाभों के अलावा अनुग्रह अनुग्रह, अनुकंपा वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है, यदि मृतक का परिवार अनुग्रह रोजगार के लाभ का

विकल्प नहीं चुनता है। नियम 3 उप खंड (बी) अनुकंपा वित्तीय सहायता को अन्य लाभों के अलावा 2.5 लाख रुपये की सहायता के रूप में परिभाषित करता है जो मृतक के गरीब परिवार के आश्रित सदस्य को स्वीकार्य हो सकता है।

नियम 3 उप खंड (डी) मृत सरकारी कर्मचारी को परिभाषित करता है कि एक सरकारी, नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारी और दैनिक मजदूरी, आकस्मिक प्रशिक्षु, कार्य प्रभारित, तदर्थ, अनुबंध के आधार पर काम नहीं कर रहा है और जिसने कम से कम तीन वर्षों तक सरकार की सेवा की है। वैधानिक प्रावधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि चाहे वह अनुकंपा के आधार पर अनुग्रह नियुक्ति की मंजूरी हो या अनुकंपा के आधार पर अनुग्रह राशि वित्तीय सहायता, दोनों का संबंध उस 'मृत कर्मचारी' से होगा जिसकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है। बदले में ऐसे मृत कर्मचारी को "मृत सरकारी, कर्मचारी" अभिव्यक्ति के तहत नियम 3 उप खंड (डी) के तहत परिभाषित किया गया है। भले ही, नियम 2 उपखंड (i) के तहत अनुकंपा के आधार पर अनुग्रह नियुक्ति के अनुदान को विनियमित करने के लिए "मृत कर्मचारी" शब्द का उपयोग किया गया है और नियम 2 उप खंड (ii) के तहत अनुग्रह अनुकंपा वित्तीय सहायता के अनुदान को नियंत्रित करने के लिए मृतक शब्द को नियोजित किया गया है, लेकिन यह किसी भी भेद को आकर्षित करने का आधार नहीं बनाएगा। नियम 2 उप खंड (ii) के तहत उल्लेख के रूप में "मृतक" शब्द स्पष्ट रूप से एक मृत सरकारी, कर्मचारी के संबंध में है जैसा कि नियम 3 उप खंड (डी) के तहत परिभाषित किया गया है। नियम 2 की शुरुआती पंक्तियां मामले को और स्पष्ट करेंगी। नियम 2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2003 के नियमों का उद्देश्य मृत कर्मचारी के परिवार को रोटी कमाने वाले की हानि के कारण आपातकालीन स्थिति से निपटने में सहायता करना है, जिसके लिए वह दो विकल्पों में से कोई एक विकल्प अर्थात अनुकंपा के आधार पर अनुग्रह राशि या अनुग्रह राशि वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वैधानिक प्रावधान की भाषा सादा और असंदिग्ध है। मृत कर्मचारी के गरीब परिवार के सदस्य द्वारा अनुकंपा के आधार पर अनुग्रह नियुक्ति या अनुकंपा के आधार पर अनुग्रहपूर्वक वित्तीय सहायता का दावा करने का विकल्प मृत सरकारी कर्मचारी के संबंध में होना चाहिए, जैसा कि नियम 3 उप खंड (डी) के तहत परिभाषा के तहत कवर किया गया है यानी कम से कम तीन साल तक सरकार की सेवा की है। जहां तक अनुकंपा वित्तीय सहायता अनुदान के लिए आवेदक के दावे पर विचार करने का संबंध है, हम नियम 2 उपखंड (i) के तहत मृतक कर्मचारी शब्द और नियम 2 उपखंड (ii) के तहत मृतक शब्द के बीच किसी भी अंतर को पढ़ने के लिए खुद को राजी करने में असमर्थ हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा ऐसा विभेद किया जाना नियमों से भिन्न होगा।

(सात) हम जानते हैं कि 2003 के नियम कानून के लाभकारी टुकड़े की प्रकृति में हैं और एक उदार व्याख्या के लिए कहेंगे। यह अच्छी तरह से तय है कि यह अदालतों के लिए अलग अपनाने के लिए खुला होगा

(ग) दंड संविधियों और करारोपण संविधियों की तुलना में सामाजिक-आथक संविधियों/उपबंधों की व्याख्या के लिए मानदण्ड और उपाय किए गए हैं। लेकिन एक चेतावनी होगी। न्यायालयों के लिए यह खुला नहीं होगा कि वे "करुणा" और "समानता" की आड़ में विधायिका द्वारा अनभिपे्रत स्तर तक न्यायिक व्याख्या का सहारा लेकर कानून के लाभकारी भाग में एक प्रावधान के अनुप्रयोग का विस्तार करें और इस प्रकार सांविधिक उपबंध के अंतर्गत प्रदान किए गए लाभ का विस्तार उन लोगों तक भी करें जो इस प्रकार शामिल नहीं हैं। इस संबंध में हम क्षेत्रीय निदेशक, ईएसआई कॉरपोरेशन के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों से समर्थन प्राप्त करेंगे **/** बनाम

***रामानुज मैच इंडस्ट्रीज** (1):*

> ***10.... हमें संदेह नहीं है कि लाभकारी विधानों में विधायी मंशा को लागू करने की दृष्टि से उदार निर्माण होना चाहिए, लेकिन जहां इस तरह के लाभकारी कानून की अपनी एक योजना है, वहां न्यायालय के लिए योजना से परे यात्रा करने और वैधानिक लाभ प्रदान करने के बहाने क़ानून के दायरे का विस्तार करने का कोई वारंट नहीं है जो योजना के दायरे में नहीं आते हैं। "*

(आठ) यह माना जाता है कि प्रतिवादी के दिवंगत पति को 1.5.2002 को रसोइया के रूप में नियुक्त किया गया था और वह 21.9.2003 को समाप्त हो गया था। उन्होंने 1 साल 4 महीने और 20 दिनों की अवधि के लिए पुलिस विभाग में सेवा की थी। तदनुसार, प्रतिवादी के पति को 2003 के नियमों के नियम 3 के उपखंड (डी) के तहत परिभाषित "मृत सरकारी कर्मचारी" की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया जाएगा, जो स्पष्ट रूप से ऐसे मृत सरकारी कर्मचारी को कम से कम तीन साल तक सरकार की सेवा करने के लिए अनिवार्य करता है ताकि मृतक के आश्रित सदस्य को अनुग्रह अनुकंपा वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए पात्र बनाया जा सके।

(नौ) ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, हम तत्काल अपील की अनुमति देते हैं और सीडब्ल्यूपीएन ओ में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 20.07.2012 के फैसले को रद्द करते हैं। 2006 का 7032। नतीजतन, प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी जाएगी।

अपील की अनुमति दी।

एम. जैन

(1) (1985) 1 एससीसी 218

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मयंक गुप्ता
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

चरखी दादरी, हरियाणा